इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2013—श्रावण 29, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

सूचना

क्र. 3988-2806-13-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 95 और 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए करना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गऐ अनुसार, एतद्द्वारा, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना हो, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि संशोधन के उक्त प्रारूप पर, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान हो जाने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी व्यक्ति की ओर से अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश शासन को वल्लभ भवन के कक्ष क्रमांक-210 में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 77 में, उप नियम (1क) में, खण्ड (चार) में, अनुक्रमांक-1, 2 व 3 के सामने शब्द ''चालक व परिचालक को छोड़कर'' के स्थान पर शब्द ''चालक व परिचालक सहित'' स्थापित किए जाएं.

NOTICE

No.3988-2806-2013-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 95 and 96 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that

the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Bhopal during the office hours at Vallabh Bhawan, Room No. 210 from any person with respect to the said draft before the expiry of period specified above will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules 77, in sub-rule (1a), in clause (iv), against serial number 1, 2 and 3 for the words "excluding driver and conductor", the words "including driver and conductor" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.